न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 03/2022
GCMS NO. : 2022/4

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. नूर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉं		1. अकबर पुत्र घीसु खॉ
2. सायरी बानो पुत्री इस्माईल खॉं		2. जवरू खॉ पुत्र दाउद खॉ
3. जुमली पुत्री इस्माईल खॉं		3. बाबू खॉ पुत्र हकीम खॉ
4. मरियम बानू पुत्री इस्माईल खॉं		4. मुन्नी पुत्री घीसु खॉ
5. शकुर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉं		5. मैना पुत्री घीसु खॉ
6. इकबाल पुत्र रहीमबक्ष		6. मोहम्मद पुत्र दाउद खॉ
7. सलीम पुत्र रहीमबक्ष		7. रहमान पुत्र घीसू खॉ
8. मैना पत्नि रहीम बक्ष		8. शफी मोहम्मद पुत्र हकीम खॉ
9. रजिया बानू पुत्री रहीमबक्ष जाति–तेली मुसलमान निवासी–चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली।		9. सतार खॉ पुत्र हकीम खॉ
		10. सदीक खॉ पुत्र हकीम खॉ
		11. सुबान खॉ पुत्र हकीम खॉ फौत के कायम मुकाम
		11/1. ईरफान पुत्र सूबान खॉ
		11/2. जावेद पुत्र सूबान खॉ
		11/3. खूसी पुत्री सूबान खॉ
		11/4. सेनाद पुत्री सूबान खॉ
		12. सुलेमान खॉ पुत्र हकीम खॉ
		13. सिकन्दर पुत्र घीसू खॉ जाति मुसलमान निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली।
		14. जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति सीरवी निवासी नोख
		15. महिपाल परिहार पुत्र केसाराम जाति सीरवी नोख तहसील रायपुर जिला पाली।
		16. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 06/01/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 09/05/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील– जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तेनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7851 हैक्टर किस्म चाही सोयम आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण सभी एक ही वंशज की सन्तान है। वादीगण व प्रतिवादीगण सभी का मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। मौके पर जमीन कई वर्षो पहले बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से आए दिन विवाद रहता है तथा अपने–अपने हिस्से की जमीन को खाद डालकर उपजाउ नहीं बना सकते और न जमीन का सुधार करवा सकते है इसलिए राजस्व रेकर्ड में हिस्से माफिक एवं कब्जे माफिक बंटवाड़ा किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाकर लगान भी अलग–अलग किया जाना जरूरी हैं। वादीगण अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा करवाकर बैंक से ऋण लेना चाहते है वादीगण के हिस्से की जमीन के चारो ओर पट्टीयां खड़ी कर तारबन्दी की हुई है। माफिक हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है ताकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 15 के आपस में कोई किसी तरह का विवाद नहीं रहे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 15 का परिवार बड़ा हो गया तथा जमीन कम ज्यादा को लेकर एवं मांठ को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में संयुक्त काश्त नहीं कर सकते जब तक राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक हमेशा विवाद रहेगा इसलिए मुतनाजा जमीन का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा किया जाकर लगान व खाता अलग–अलग किया जाना जरूरी हैं। मुतनाजा जमीन का वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से सात के बीच आपस में बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक वादीगण अपने हिस्से की जमीन का आबादी में रूपान्तरण भी नहीं करवा सकते क्योकि परिवार बड़ा होने से एवं जमीन गांव की आबादी के पास होने से मुतनाजा जमीन को आबादी में रूपान्तरण करवाना जरूरी हो गया। खातेदार लाडू पत्नि दाउद की मृत्यु होने से इनके वारिसान को दावा में पक्षकार बनाये गये है बीबीफातमा एक ही नाम है राजस्व रेकर्ड में फातमा अलग से लिखा है जो गलत है एवं सुगरी पत्नि घीसु खॉं फौत है लेकिन इनके कायम मुकाम का नाम राजस्व रेकर्ड में पहले से दर्ज है जिसको बतौर प्रतिवादीगण बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 16 तहसीलदार जैतारण लैण्ड हॉल्डर होने व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी [illegible] है। वादीगण का बिनाय दावा 01/12/2021 को जब वादीगण ने प्र[illegible] को बंटवाड़ा करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से इन्कार क[illegible] पर मुकाम चावण्डिया में पैदा हुआ जो अदालतबाला के क्षेत्राधिका[illegible] अन्दर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 15 बावजूद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी नूर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉ का एवं गवाह कमलेश पुत्र पुखराज का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध करवाए गए। वादीगण द्वारा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये, जो शा0मि0 है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। सरहद मौजा चावण्डिया में जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम का अवलोकन किया गया, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/99 दिनांक 17.04.2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/366 दिनांक 09.05.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादीगण की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी की माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादीगण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। भू–अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 198 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अकबर पुत्र घीसु खां हिस्सा 1/2, रहमान पुत्र घीसु खां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	198	0.0436	चा.सो.	0.1144
2.	जगदीशचन्द पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2, महिपाल परिहार पुत्र केशाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. नौरव तहसील रायपुर खातेदार	198/5	0.1308	चा.सो.	0.3432
3.	बाबुखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, शफी मोहम्मद पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सतारखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सदीक खां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सुबान खां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सुलेमानखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, मुन्नी पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, मैना पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, सुगरी पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, सिकन्दर पुत्र घीसू खां हिस्सा 1/10 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/6	0.2181	चा.सो.	0.5723
4	जवरू खां पुत्र दाउद खां हिस्सा 1/2, मोहमद पुत्र दाउद हिस्सा 1/2 कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/7	0.1963	चा.सो.	0.1963
5	इकबाल पुत्र रहीमबक्स हिस्सा 1/24, जुमलीबानू पुत्री इस्माइल हिस्सा 1/6, नूरमोहम्मद पुत्र ईस्माइल हिस्सा 1/6, मैना पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 1/24, मरियम बानू पुत्री ईस्माइल हिस्सा 1/6, रजियाबानू पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 1/24, शकूरमोहम्मद पुत्र ईस्माईल हिस्सा 1/6, सलीम पुत्र रहीम बक्स हिस्सा 1/24, सायरीबानू पुत्री ईस्माइल हिस्सा 1/6 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/8	0.1963	चा.सो.	0.5150

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

सहायक कलक्टर
(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 09/05/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प चावण्डिया में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. नूर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉं 2. सायरी बानो पुत्री इस्माईल खॉं 3. जुमली पुत्री इस्माईल खॉं 4. मरियम बानू पुत्री इस्माईल खॉं 5. शकुर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खॉं 6. इकबाल पुत्र रहीमबक्ष 7. सलीम पुत्र रहीमबक्ष 8. मैना पत्नि रहीम बक्ष 9. रजिया बानू पुत्री रहीमबक्ष जाति–तेली मुसलमान निवासी–चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. अकबर पुत्र घीसु खॉ 2. जवरू खॉ पुत्र दाउद खॉ 3. बाबू खॉ पुत्र हकीम खॉ 4. मुन्नी पुत्री घीसु खॉ 5. मैना पुत्री घीसु खॉ 6. मोहम्मद पुत्र दाउद खॉ 7. रहमान पुत्र घीसू खॉ 8. शफी मोहम्मद पुत्र हकीम खॉ 9. सतार खॉ पुत्र हकीम खॉ 10. सदीक खॉ पुत्र हकीम खॉ 11. सुबान खॉ पुत्र हकीम खॉ फौत के कायम मुकाम 11/1. ईरफान पुत्र सूबान खॉ 11/2. जावेद पुत्र सूबान खॉ 11/3. खूसी पुत्री सूबान खॉ 11/4. सेनाद पुत्री सूबान खॉ 12. सुलेमान खॉ पुत्र हकीम खॉ 13. सिकन्दर पुत्र घीसू खॉ जाति मुसलमान निवासी चावण्डिया तहसील जैतारण जिला पाली। 14. जगदीशचन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति सीरवी निवासी नोख 15. महिपाल परिहार पुत्र केसाराम जाति सीरवी नोख तहसील रायपुर जिला पाली। 16. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0: 03/2022

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं ... धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 15 की संयुक्त सामलाती अविभाजित कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 0.7851 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	अकबर पुत्र घीसु खां हिस्सा 1/2, रहमान पुत्र घीसु खां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	198	0.0436	चा.सो.	0.1144
2.	जगदीशचन्द पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2, महिपाल परिहार पुत्र केशाराम हिस्सा 1/2 जाति सीरवी सा. नौरव तहसील रायपुर खातेदार	198/5	0.1308	चा.सो.	0.3432
3.	बाबुखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, शफी मोहम्मद पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सतारखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सदीक खां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सुबान खां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, सुलेमानखां पुत्र हकीम खां हिस्सा 1/10, मुन्नी पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, मैना पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, सुगरी पुत्री घीसू खां हिस्सा 1/10, सिकन्दर पुत्र घीसू खां हिस्सा 1/10 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/6	0.2181	चा.सो.	0.5723
4	जवरू खां पुत्र दाउद खां हिस्सा 1/2, मोहमद पुत्र दाउद हिस्सा 1/2 कौम मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/7	0.1963	चा.सो.	0.1963
5	इकबाल पुत्र रहीमबक्स हिस्सा 1/24, जुमलीबानू पुत्री इस्माइल हिस्सा 1/6, नूरमोहम्मद पुत्र ईस्माइल हिस्सा 1/6, मैना पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 1/24, मरियम बानू पुत्री ईस्माइल हिस्सा 1/6, रजियाबानू पुत्री रहीमबक्स हिस्सा 1/24, शकूरमोहम्मद पुत्र ईस्माईल हिस्सा 1/6, सलीम पुत्र रहीम बक्स हिस्सा 1/24, सायरीबानू पुत्री ईस्माइल हिस्सा 1/6 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार	198/8	0.1963	चा.सो.	0.5150

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एक कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सु... बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर के प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प चावण्डिया में आज तारीख 09/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	13.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजान:–	16.00	मिजान:–	0.00

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:08 IST
Reason: SelfAttested